

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज 0

गैर-सायल अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 61/2018

-:: सायल :-

बनाम

-:: गै0सा0 :-

- | | |
|---|--|
| 1. पुखराज पुत्र बुद्धाराम जाति
कुमावत निवासी-मोहराई,
तहसील-जैतारण जिला-पाली | 1. बाबुलाल पुत्र बुद्धाराम
जाति-कुमावत निवासी-मोहराई,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन
अधिकारी, जैतारण जिला पाली
(राज.) |
|---|--|

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955

तारीख रजु: 20/03/2018

- उपस्थितः. 1. श्री भगवतीप्रसाद पटेल, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री, शंकरलाल कुमसावत, अधिवक्ता गै0सा0।


-:: निर्णय :-

दिनांक: 12/07/2018


वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-मोहराई, पटवार हल्का- मोहराई, भू.अ.निरीक्षक- निमाज तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) सायल एवं गैर-सायल की शामिलता खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 838 रकबा 91-08 बीघा किस्म चाही दोगम, खसरा नम्बर 839 रकबा 21-06 बीघा किस्म चाही दोगम, खसरा नम्बर 840 रकबा 4-16 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 841 रकबा 32-19 बीघा किस्म चाही दोगम, खसरा नम्बर 842 रकबा 0-16 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 843 रकबा 10-15 बीघा किस्म चाही दोगम, खसरा नम्बर 844 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 845 रकबा 0-15 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 846 रकबा 3-11 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 847 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 848 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 849 रकबा 2-15 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 850 रकबा 5-05 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नम्बर 851 रकबा 181-08 बीघा किस्म गै.मु. कुल खसरा 14 कुल रकबा 355-17 बीघा की कृषि भूमि में सायल माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नकल प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2073-2076 व नक्शा ट्रेस की प्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है जो प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा-मोहराई में सायल एवं गैर-सायल के पूर्वजों के समय से शामिलता अविभक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि प्रार्थनापत्र के पेटा संख्या एक में दर्शायी खसरा नम्बरान् की भूमि आई हुई है उक्त कृषि भूमि पर माफिक हिस्सेनुसार कब्जा व काश्त सायल का है। प्रार्थनापत्र के पेटा संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि सामलाती अविभक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त पैतृक कृषि भूमि है जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 में सामुहिक इन्द्राज है तथा उक्त आराजी कृषि भूमि का कानूनन कोई बंटवाड़ा बाई

**उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)**

मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अभी तक नहीं हो रखा है। इस कारण सामलाती कृषि भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा व मालिकाना अधिकार बनता है। सायल एवं गैर-सायल के परिवार का वंश वृक्ष निम्न प्रकार दर्शाया जा रहा है-




उपरोक्त वंशावली के अनुसार उक्त आराजी कृषि भूमि में सायल पुखराज का 1/90 हिस्सा है और गैर-सायल बाबुलाल का 1/90 हिस्सा है। इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काशत है और खातेदारी कृषि भूमि में हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काशत है और खातेदारी कृषि भूमि में हिस्से माफिक रहवास हेतु मकान बनाने के लिये खसरा नम्बर 841 रकबा 32-19 बीघा जमीन का बंटवाड़ा किया हुआ है जिसमें सामुहिक चौक एवं आवागमन हेतु रास्ता छोड़ा हुआ है। सायल एवं गैर-सायल के हिस्से की जमीन का मौके का नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थनापत्र के साथ पेश किया जा रहा है जो प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जावे। नजरी नक्शे में सायल का रहवासी मकान बनाने हेतु प्लॉट (जमीन) मार्क पीले रंग से दर्शायी हुई है एवं दोनों पक्षों के आवागमन हेतु एवं अन्य हिस्सेदारान के आवागमन हेतु रास्ते एवं सामुहिक चौक को मार्क हरे रंग से दर्शाया हुआ है। सामुहिक चौक को 14 फुट लम्बाई में 59 फुट चौड़ाई में छोड़ा हुआ है। सायल एवं गैर-सायल के हिस्से अनुसार रहवासी मकान बनाने हेतु जमीन 127 फुट लम्बाई में आती है जो 14 फुट लम्बाई में सामुहिक चौक जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया है जिसको छोड़कर है तो 127 फुट लम्बाई के अनुसार सायल का 63.6 वर्गफुट लम्बाई में प्लॉट आता है गैर-सायल का भी 63.6 वर्गफुट लम्बाई में आता है। परन्तु सायल मजदूरी हेतु मद्रास चैन्नी में रहता है। इसकी अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुये सायल के हिस्से के प्लॉट की जमीन हड़पने की नियत से प्लॉट में 7 फुट लम्बाई में मौके पर गैर-सायल गैर कानूनी रूप से पत्थर सीमेंट, बजरी मौके पर डालकर सायल के हिस्से की जमीन में नीचे खोदकर भरकर पक्का निर्माण करके जमीन लेवल से करीब 3-4 फुट उंचाई में पक्का निर्माण करके मकान बनाने हेतु नीचे भरकर दिवारे बना दी जो नजरी नक्शे में मार्क ए,बी,सी,डी लाल रंग से दर्शायी गई है। जो गैर कानूनी एवं अवैध अतिक्रमण है। गैर-सायल को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है गैर-सायल द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण के रंगीन फोटू प्रस्तुत हैं जो प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जावें। प्रार्थनापत्र के पेरार संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि सामलाती खातेदारी कब्जे काशत की है। गैर-सायल उक्त कृषि भूमि को बिना बंटवाड़ा करवाये ही सायल के हिस्से की जमीन को हड़प करना चाहता है


 अनवरत अधिकारी
 नजरी (कानून)

तथा दिनांक 17/3/2018 को सामलाति भूमि में गैर-सायल नीचे खोदकर निर्माण कार्य करने पर आमादा हुआ तब सायल को जानकारी होने पर मद्रास (चिन्नई) से दिनांक 16/3/2018 को ग्राम मोहराई बेरा बन्दड़ी पर आया और गैर-सायल को कहा कि उक्त कृषि भूमि का अभी तक कानूनी रूप से बंटवाड़ा होकर खाता अलग नहीं हुआ है, सम्पूर्ण भूमि सामलाति अविभक्त कृषि भूमि है जबतक कानूनी रूप से बंटवाड़ा नहीं हो तब तक किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करे परन्तु गैर-सायल नहीं माना और लाठी व धनबल के आधार पर मौके पर नीचे खोदकर रेत, चुना, पत्थर, बजरी, सीमेंट डालकर व कारीगर मजदूर लगाकर निर्माण कार्य करने लगे तब मना करने पर नहीं माने व गाली गलोच व लड़ाई झगड़ा करने लग गये और ऐलानिया धमकी दी कि लाठी के बल पर तेरे हिस्से की जमीन में निर्माण करके मकान बनाकर जमीन हडप करके रहेगे नजदीक आ गया तो हाथ टांग तोड़ दुंगा व इतना ही नहीं नजदीक आ गया तो जान से खत्म करके जमीन में डाल दुंगा। बार बार मना करने एवं कुएँ वालों द्वारा समझाईश करने पर भी नहीं मान रहा है और जबरदस्ती लाठी के बल पर उक्त सामलाती भूमि को सायल के हिस्से की जमीन में निर्माण कार्य करने में सफल हो जाता है तो सायल अपने मालिकाना अधिकार के हक हिस्से की जमीन में महरूम रह जायेगा एवं सायल के साम्पतिक अधिकारों का हनन होगा और अनावश्यक मुकदमेंबाजी करनी पड़ेगी जिससे खर्चों से जेर बार होगा और आर्थिक नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। इसलिये उक्त अवैध गैरकानूनी निर्माण को रूकवाने हेतु सायल की तरफ से गैर-सायल के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो आज ही नोटिस डिस्पेन्सविद किये जाने का आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि है तथा बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा हर इंच की जमीन पर सायल का हक व अधिकार है तथा गैर-सायल बिना किसी कानूनी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के सामलाती भूमि के बिना अनुमति लिये ही किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करने का कोई भी कानूनी हक व अधिकार नहीं है यदि गैरसायल गैर कानूनी कृत्य में सफल हो जाता है तो सायल को असीम क्षति होगी। मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार प्रथम दृष्टिया मामला भी सायल के पक्ष में है सुविधा का संतुलन भी सायल के हक में साबित है सायल के गरीब मजदूर व्यक्ति है इसको आर्थिक नुकसान होगा जिसका मूल्यांकन रूपयों में किसी भी सूरत में नहीं आंका जा सकता है। इसलिए गैर-सायल द्वारा किये जा रहे अवैध अतिक्रमण को जरिये मेण्डेटरी अस्थाई निषेधाज्ञा के हटाये जाने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् की सेवा में पेश है। सायल के स्वयं के शपथ पत्र तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष में बखुबी साबित है अगर गैरसायल द्वारा बिना बंटवाड़ा करवाने उक्त भूमि में एवं प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क पीले रंग के प्लॉट में कच्चा या पक्का निर्माण कार्य कर देते है तो सायल अपने खातेदारी एवं काश्तकारी हक हकूकों एवं मालिकाना साम्पैतिक हक अधिकारों से महरूम होना एवं सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु सायल के पक्ष में व गैर सायल के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का सायल की और से गैर-सायल के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का सायल की और से गैर-सायल के विरुद्ध श्रीमान् के न्यायलय में सादर पेश है।


गणपति अधिकार
नियंत्रण (कमी)

इस पर सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गैर-सायल की ओर से वकालतनामा मय जबाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ सामिल मिसल है। वकील गैर-सायल ने जबाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तथ्य रेकॉर्ड से संबधित है तथा उपरोक्त भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियां है। जो कि अविभक्त है। तथा मौके पर कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी संयुक्त रूप से काबिज है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित तथ्य इस हद तक सही है कि उपरोक्त भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त अविभक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। लेकिन प्रार्थी द्वारा माफिक हिस्सेनुसार कब्जा होने के तथ्य जिस तरह अंकित किये है पूर्णतः गलत है। प्रार्थी बिना बंटवाड़ा कराये विवादित भूमियों के किसी भी हिस्सों को अकेले की नहीं बता सकता है। क्योंकि प्रत्येक इंच की भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी का समान अधिकार है। व उसके अंतर्गत सभी सह खातेदारों को उसका उपयोग उपभोग करने का कानूनन अधिकार है। वर्णित वंशावली को प्रार्थी स्वयं साबित करे। प्रार्थी द्वारा एक और यह कथन वर्णित किये है कि उपरोक्त भूमि अविभाजित भूमियों है तथा दुसरी और विरोधाभासी कथन अंकित किये है कि उक्त खसरा नम्बर 841 रकबा 32-19 बीघा का बंटवाड़ा किया हुआ है। जबकि ऐसा कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है ना हि राजस्व रेकॉर्ड में ऐसा कोई बंटवाड़े का प्रमाण विद्यमान है। जबकि प्रार्थी द्वारा जो नजरी नक्शा पेश किया है वह भी गलत असत्य मनगढंठ है। तथा अप्रार्थी का मौके पर कच्चा मकान था जो कि बारिश के कारण जर्जर अवस्था मे था। इसलिए अप्रार्थी द्वारा अपने पूर्व में स्थित मकान के स्थान पर ही निर्माण किया जा रहा है जो कि अप्रार्थी का कानूनन अधिकार है। तथा अप्रार्थी के पास अन्य कोई रहवासिय प्रबंध नहीं है। तथा अप्रार्थी का उपरोक्त भूमियों के प्रत्येक इंच पर अधिकार है। प्रार्थी स्वयं भी चाहे तो अपना रहवास हेतु मकान बनाये तथा उसका उपयोग करने के लिये सह खातेदार के रूप में स्वतंत्र है। तथा अप्रार्थी कानूनन सह खातेदार की परिभाषा में आता है तथा सेट्ल्ड लॉ के अनुसार सह खातेदार के खिलाफ सहखातेदार निषेधाज्ञा का दावा नहीं ला सकता है। वह केवल मात्र बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा किसी भी हिस्से पर अपना एक्सक्लुजिव पजेशन बताना कानूनन अवैधानिक है। क्योंकि प्रार्थी स्वयं चैन्नई रहता है। इसलिए प्रार्थी की भूमि हड़प करने वाली कि बात गलत है। तथा प्रार्थी द्वारा पद 5 में दिनांक 17/03/2018 को अप्रार्थी द्वारा नीवें खोदने की जानकारी होना कथन किया है तथा मद्रास (चैन्नई) से दिनांक 16/03/2018 को ग्राम मोहराई बेरा बंदड़ी पर आने का कथन किया जो कि स्वयंमेव झूठे व विरोधाभाषी कथन है। जब अप्रार्थी ने नीवें दिनांक 17/03/2018 को खोदना शुरू किया हो और प्रार्थी को जानकारी उस दिन हुई हो तो एक दिन पूर्व ही दिनांक 16/03/2018 को कैसे आ सकता था। तथ उसे मना करने वाले कथन झूठे व विरोधाभाषी प्रतीत होते है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को धमकी दिए जाने वाले कथन झूठे एवं बनावटी है। कुएँ पर किस-किस ने समझाया तथा कब समझाया यह सब तथ्य भी विवरण रहित है। अप्रार्थी का निर्माण किसी भी प्रकार से अवैध व गैर कानूनी नहीं है। अप्रार्थी का कृत्य किसी तरह से गैर कानूनी नहीं है ना हि प्रार्थी को कोई क्षति होगी इसलिए प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पाया जाना तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में हो ऐसा संभव ही प्रतीत नहीं होता तथा प्रार्थी किसी भी तरह से गरीब व्यक्ति है ना हि मजदूर व्यक्ति है। तथा उसने स्वयं ने भव्य


अप्रार्थी (अपनी)

कब्जा काशत है और खातेदारी कृषि भूमि में हिस्से माफिक रहवास हेतु मकान बनाने के लिये खसरा नम्बर 841 रकबा 32-19 बीघा जमीन का बंटवाड़ा किया हुआ है जिसमें सामुहिक चौक एवं आवागमन हेतु रास्ता छोड़ा हुआ है। सायल एवं गैर-सायल के हिस्से की जमीन का मौके का नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थनापत्र के साथ पेश किया जा रहा है जो प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जावे। नजरी नक्शे में सायल का रहवासी मकान बनाने हेतु प्लॉट (जमीन) मार्क पीले रंग से दर्शायी हुई है एवं दोनों पक्षों के आवागमन हेतु एवं अन्य हिस्सेदारान के आवागमन हेतु रास्ते एवं सामुहिक चौक को मार्क हरे रंग से दर्शाया हुआ है। सामुहिक चौक को 14 फुट लम्बाई में 59 फुट चौड़ाई में छोड़ा हुआ है। सायल एवं गैर-सायल के हिस्से अनुसार रहवासी मकान बनाने हेतु जमीन 127 फुट लम्बाई में आती है जो 14 फुट लम्बाई में सामुहिक चौक जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया है जिसको छोड़कर है तो 127 फुट लम्बाई के अनुसार सायल का 63.6 वर्गफुट लम्बाई में प्लॉट आता है गैर-सायल का भी 63.6 वर्गफुट लम्बाई में आता है। सायल के हिस्से के प्लॉट की जमीन हड़पने की नियत से प्लॉट में 7 फुट लम्बाई में मौके पर गैर-सायल गैर कानूनी रूप से पत्थर सीमेंट, बजरी मौके पर डालकर सायल के हिस्से की जमीन में नीचे खोदकर भरकर पक्का निर्माण करके जमीन लेवल से करीब 3-4 फुट ऊंचाई में पक्का निर्माण करके मकान बनाने हेतु नीचे भरकर दिवारे बना दी जो नजरी नक्शे में मार्क ए,बी,सी,डी लाल रंग से दर्शायी गई है। जो गैर कानूनी एवं अवैध अतिक्रमण है। गैर-सायल को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। गै.सा. को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा के लिये रोका जाकर पाबन्द किये जाने की इस्तदूआ की। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये, 1. DNJ 2012 (2) (RAJ) PAGE 688, 2. RRD 2012 PAGE 523 ।

अधिवक्ता गै.सा. ने बहस में जाहिर किया कि उपरोक्त भूमियां प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त कब्जे काशत व खातेदारी की भूमियां है। जो कि अविभक्त है। तथा मौके पर कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी संयुक्त रूप से काबिज है। लेकिन प्रार्थी द्वारा माफिक हिस्सेनुसार कब्जा होने के तथ्य जिस तरह अंकित किये है पूर्णतः गलत है। प्रार्थी बिना बंटवाड़ा कराये विवादित भूमियों के किसी भी हिस्सों को अकेले की नहीं बता सकता है। क्योंकि प्रत्येक इंच की भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी का समान अधिकार है। व उसके अंतर्गत सभी सह खातेदारों को उसका उपयोग उपभोग करने का कानूनन अधिकार है। विधि प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी सह खातेदार अपने सह खातेदार के विरुद्ध केवल मात्र निषेधाज्ञा का दावा लाने से कानूनन निषेधित है। तथा यह स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट के प्रावधानों विपरितार्थ है। इसलिए प्रार्थी को ऐसी रिलिफ दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं। वाद काबिल खारिज के हैं ना हि प्रार्थी को वाद लाने का कोई लॉक्स स्टेण्डाई ही है। प्रार्थी का वाद कानूनी परिपाटियों के विरुद्ध होने से खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने की इस्तदूआ की। वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये, 1. 2015 (1) RRT 560 2. 2016 (1) RRT 113, 4. 2016 (1) RRT 117


बहस को समाप्त की गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्त का अध्ययन किया गया। वस्तुतः विवादित आराजी सहखातेदारन की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काशत की हैं। नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन करने

उमराव अंधार
जिला (कली)


पर पाया कि उक्त खसरा नम्बर 841 में सहखातेदारन के आपस में हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ है ओर मकान आदि भी बने हुये हैं। विवादित आराजी में सायल एवं गै.सा का 1/30 - 1/30 वॉ हिस्सा आता है उसके अनुसार ही खसरा नम्बर 841 में भी सामुहिक आवागमन का रास्ता, चौक आदि छोड़ा गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार पीला रंग का हिस्सा प्रार्थी पुखराज का व आसमानी रंग का हिस्सा अप्रार्थी बाबुलाल का है। लाल रंग से दर्शाया गया हिस्सा विवादित है। अतः प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल रंग का हिस्सा 07 फिट में किसी प्रकार से कोई निर्माण नहीं करने हेतु मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबन्द किया जाना एवं शेष अनुतोष खारिज किया जाना उचित समझते हैं

-:: आदेश ::-

अतः आंशिक अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गै0सा0 के इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व मौजा-मोहराई, पटवार हल्का- मोहराई, भू.अ.निरीक्षक-निमाज तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) सायल एवं गैर-सायल की शामिलता खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि नम्बर 841 रकबा 32-19 बीघा किस्म चाही दोयम, पर गै0सा0, प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल रंग का दर्शाया हिस्सा 07 फिट में किसी प्रकार से कोई निर्माण नहीं करने हेतु मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबन्द किया जाता है एवं शेष अनुतोष खारिज किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।


उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 12/07/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)